2026:AHC:210684

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 59685 of 2012

Muniraj Singh

…..Petitioner(s)

Versus

Commissioner Workmen Compensation Act and others

…..Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s) : R.k. Gupta
Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Saurabh Srivastava

Reserved on 5.10.2026
Delivered on 8.10.2026

Court No. - 36

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Petitioner is aggrieved by the impugned order dated 31.8.2012 where by his claim under Workmen Compensation Act, 1923 was rejected mainly on the ground that alleged accident was not proved.

2. Petitioner has claimed that he was employed as a Driver with the respondent no.1 and vehicle was insured with respondent no.2. Car met with an accident on 3.4.2009 in which the petitioner and employer i.e. respondent no.1 were injured.

3. Petitioner was seriously injured and he was admitted in the hospital for quite a long time and due to injury occurred, he was declared disabled also.

4. On basis of alleged occurrence, one injured Bijendra Gupta has filed a case before the Motor Accident Claims Tribunal against the owner of the vehicle wherein compensation of Rs.7945/- was determined vide an

order dated 23.8.2011. Admittedly, petitioner has not filed any claim before the Motor Accident Claims Tribunal.

5. Sri R.K.Gupta, learned counsel for the petitioner submitted that there are various documents on record that after the accident, petitioner was admitted in the hospital for a substantial period and huge amount was paid towards medicines and number of bills were placed on record before the authorities as well as before this Court.

6. On a specific query put by this Court as to whether petitioner has filed any document to show that he was admitted in the hospital, nature of treatment as well as discharge summary, however, on basis of records, learned counsel for the petitioner has not able to show any such documents that they were either submitted before the competent authority or before this Court.

7. Learned counsel for the petitioner further submitted that once there was an admission on behalf of an Employer that petitioner was employed as a Driver and the accident took place when the petitioner was driving the vehicle then a finding returned that accident was disputed was not correct.

8. Per contra, Sri Saurabh Srivastava, learned counsel for the contesting respondent referred the contents of Section 3 of the Act 1923 that there must be employer employee relationship. He further submitted that for compensation, it must be proved that an accident took place during course of employment as well as in case treatment was alleged it must be proved, but in present case, treatment was highly disputed.

9. I have considered the above submissions and perused the records.

10. The contesting respondent has filed a written statement before the respondent no.1 that petitioner was employed as a Driver and car was

damaged in the occurrence and insured amount was also paid towards repairing of the car though it was not admitted that petitioner was admitted in a hospital for a long period and huge amount was paid on it. The burden was on the petitioner to prove that due to accident, he was seriously injured and admitted in the hospital, paid substantial amount towards medicine and disability occurred was also due to the accident. However, Court finds that number of relevant documents such as when the petitioner was admitted in the Tulsi Nursing Home and when he was discharged were filed. There is no discharge summary on record, though there are various bills for purchase of medicines and that some pathology investigation was done.

11. There is nothing on record that what was the nature of treatment, nature of injury, whether it was directly related to the occurrence or not as well as it was directly attributed to disability.

12. In aforesaid circumstances, Court takes note of the finding returned by the Commissioner, which are reproduced hereinafter:

> "वाद बिन्दु सं०-1
> वादी ने अपने दावे में कहा है कि वह प्रतिवादी सं0-1 के सेवायोजन में रहते हुये दिनांक 3-4-2009 को शाहजहांपुर से मेरठ श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता के साथ आ रहा था लगभग 3.30 बजे पुलिस चौकी अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर के निकट अज्ञात ट्रैक्टर से दुर्घटना हो गयी जिसमें वह और श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसके उपरान्त उसे जिला अस्पताल शाहजहापु में भर्ती रहा और बाद में तुलसी नर्सिंग होम में उसका ईलाज हुआ । प्रतिवादी सं0-1 ने अपने लिखित कथन में उक्त दुर्घटना और उसमें बताये गये अन्य विवरण को स्वीकार किया है। वादी ने अपने कथनों के समर्थन में एक फैरिस्त दिनांक 23-11-10 प्रस्तुत कर थानाध्यक्ष कोतवाली, शाहजहाँपुर को पंजीकृत डाक से प्रेषित सूचना की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी जोकि न्यायाधिकरण-6 ए०डी०जे० / एम०ए०सी०टी० मेरठ द्वारा एम०ए०सी० 721/2009 विजेन्द्र बनाम महेश आदि की सत्यप्रतिलिपि है । अभिलेखोंके अनुसार भी विजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 21-5-2009 को थानाध्यक्ष कोतवाली शाहजहापुर को पंजिकृत डाक से सूचना भेजी गयी है जिसमें यह अंकित है कि कार ड्राईवर मुनीराज चला रहा था। इसी आशय का वाहन स्वामी श्री महेश चन्द गुप्ता द्वारा शपथ-पत्र दिया गया है कि वादी उनका वाहन पर चालक तैनात था। पत्रावली के अभिलेखों में यह स्पष्ट नहीं है किइस पत्र/सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली शाहजँहापुर पर क्या कार्यवाही की । उन्हें तलब कर साक्ष्य के लिये बुलाया भी नहीं गया । यह सूचना श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा दुर्घटना के लगभग डेढ़ माह बाद दिनांक 21-5-2009 को भेजी गयी जबकि दुर्घटना 03-4-2009 को बतायी गयी है । इस प्रकार वादी द्वारा ईलाज के पर्चे अभिलेखों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे नजदीकी पर्चा लोकप्रिय अस्पताल, मेरठ का दिनांक 04-04-2009 का है। आसपास दवाओं के भी पर्चे मौजूद है । पी०राम प्रसाद बिसमिला स्मारक संयुक्त जिला अस्पताल

शाहजँहापुर का एक पर्चा दिनांक 03-4-2009 का प्रस्तुत है, जिसकी सं० 2375 है, को भर्ती की तिथि 03-4-2009 को 4.10 बजे सायं, डिस्चार्ज की तिथि 03-4-2009 समय सायं 6.00 बजे अंकित है। डायगनोसिस में हैड इंजरी लिखी हुयी है तथा जिला हास्पिटल, मेरठ के लिये रैफर किया गया है। पेपर सं0-30 पर भी शशांक गुप्ता मांगे राम गुप्ता का प्रमाण-पत्र है जिस एम्बूलैन्स से वादी को मेरठ लाया गया। इस प्रकार वादी के ईलाज से सम्बन्धित पर्चे मूल रूप में प्रस्तुत है। डा० आर०एम० गुप्ता द्वारा अपंगता चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिनांक 23-2-2010 भी संलग्न किया गया है। वादी ने अपनी जिरह में कहा है कि उक्त वाहन के मालिक श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता है। उसकी अपनी फैक्ट्री है। मुझे विजेन्द्र ने ही नौकरी पर रखा था। जिरह मे यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित दुर्घटना स्थल चलने वाले स्थान से कितनी दूर है। यह भी नहीं बता सका कि दुर्घटना के सम्बन्ध में वह किस दिशा में जा रहा था । यह भी नहीं बता पाया कि जिला सरकारी अस्पताल में उसका ईलाज कथित सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति के रूप में किया है या नहीं । यह भी नहीं बता सका कि उसके भर्ती की कोई सूचना दी गया या नहीं । कथित दुर्घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं । पुलिस ने कोई कार्यवाही की या नहीं ।

प्रतिवादी सं०-1 श्री महेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि गाडी में बैठे विजेन्द्र गुप्ता उनके भाई है । जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने 2-3 वर्ष से वादी को नौकरी पर रखा था । यह भी स्वीकार किया है कि वादी को कोई नियुक्ति -पत्र नहीं दिया गया था। वादी का असल डी०एल० उसके पास है। दुर्घटना में कार का आगे का हिस्सा इंजन, सीसा क्षतिग्रस्त हो गया था। मेरे भाई को भी चोटे आयी थी। यह भी कहा है कि उन्हें कार की टूट फूट का बीमा कम्पनी से लगभग 65 हजार बजरिये चैक मिला था। लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल नहीं है। वाहन चालक के वेतन सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नही है।

वादी द्वारा की गयी जिरह में उन्होंने बताया कि उनके भाई को लगी चोट का मुकदमा न्यायालय-6 एम०ए०सी०टी० के यहाँ तय हो गया है । इस प्रकार प्रतिवादी के लिखित कथन और प्रतिवादी के बयान से यह सिद्ध है कि वादी उनके सेवायोजन में था। दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। यद्यपि प्रतिवादी सं0-1 ने अपने प्रस्तर-3 में दुर्घटना का होना स्वीकार किया है और सशपथ बयानों में भी उन्होंने वाहन की हुयी टूट फूट की क्षतिपूर्ति लगभग 65 हजार बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का कथन किया है । परन्तु कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दी । कथित दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस को लगभग 40 दिन बाद सूचित किये जाने का एक पत्र जोकि मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में चल मुकदमे को प्रस्तुत किया गया था, कि सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी । इस वाद मे न तो जमा धन को बुलाया गया न ही इस तथ्य के कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि एफ०आई०आर० दर्ज हुई अथवा नहीं । उक्त सूचना पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की विलम्ब से पुलिस को सूचित करना, उसके अनुसंगिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने इस संबंध मे कोई प्रयास नहीं करना सन्देह की स्थिति पैदा करता है। बीमा कम्पनी का यह कथन है कि अवैध रूप से क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये प्रतिवादी सं0-1 वादी से साज किया है, को बल प्रदान करता है । शाहिजहापुर में वादी के जिला चिकित्सालय में भर्ती होने के अभिलेख दाखिल किये गये है। परन्तु उनकी पुष्टि किसी साक्ष्य को नहीं बुलाया गया है । प्रकरण मे वादी के अतिरिक्त अन्य श्रेष्ठ साक्षी श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता हो सकते थे जोकि कथित दुर्घटना के समय उपस्थित बताये गये और घायल भी बताये गये। परन्तु उनका साक्ष्य नहीं कराया गया । वादी द्वारा प्रतिवादीसं0-1 से की गयी जिरह में प्रतिवादी सं0-1 ने यह बताया कि अपर जिला न्यायाधिकरण मोटर वाहन अधिनियम-6 मेरठ में उनके भाई के क्लेम को तय किया। परन्तु यह भी नहीं बताया कि उसमें उनको दावा मिला या निरस्त किया। साथ ही तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिये वह निर्णय एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता परन्तु वह निर्णय किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी ने अपने दावे में वाहन स्वामी प्रतिवादी सं0-1 को बताया है और उन्हीं के विरूद्ध दावा भी प्रस्तुत किया है । प्रतिवादी सं0-1 ने अपने लिखित कथन में यह भी स्वीकार किया है । परन्तु वादी ने पने मौखिक साक्ष्य के समय प्रतिवादी सं0-2 द्वारा की गयी जिरह में कहा है कि "गाडी सं0-यू0 पी0-15 ए०ए० 4840 के मालिक विजेन्द्र कुमार गुप्ता है । ग्राम रिठानी के रहने वाले है। उनकी अपनी फैक्ट्री है। मुझे विजेन्द्र गुप्ता ने नौकरी पर रखा था।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी को वाहन मालिक का नाम भी नहीं पता है। उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में कथित दुर्घटना ही सन्दिग्ध है । वादी वाद बिन्दु सं0-1 को सिद्ध करने में असफल रहे। अतः वाद-दावा निरस्त किया जाता है।"

13. Aforesaid findings returned by the Commissioner are based on materials available, that petitioner was not able to show how he was seriously injured due to accident. Even petitioner was not able to tell the name of employer. Otherwise also, there is nothing on record about the nature of diagnose, nature of treatment as well as discharge summary therefore, petitioner miserably failed to prove the allegations.

14. In the aforesaid circumstances,Court does not find any reason to interfere with the impugned order.

15. Writ Petition is accordingly dismissed.

(Saurabh Shyam Shamshery,J.)

October 8, 2026
SB

Digitally signed by :-
SANDEEP BHATTACHARYA
High Court of Judicature at Allahabad